

कार्यालय.....

क्रमांक-

दिनांक-

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F.6(5)FD(RULES)/2009 जयपुर दिनांक 25.10.2021 की अनुपालना में इस संस्था में कार्यरत निम्नलिखित अराजपत्रित कर्मचारियों को जो 1 अप्रैल 2021 को राजकीय सेवा में निरंतर कार्यरत थे तथा Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 2017 में पे-मेट्रिक्स L-12 या इससे कम में अथवा Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 2008 में ग्रेड-पे 4800 या इससे कम में वेतन आहरित कर रहे थे, इनको वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु तदर्थ बोनस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है -

क्रम सं.	नाम कर्मचारी	पद	31 मार्च 2021 को मूल वेतन	पे-मेट्रिक्स	देय बोनस राशि		
					कुल देय बोनस राशि	GPF/GPF-2004 में जमा बोनस राशि	नकद देय बोनस राशि
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

प्रमाणित किया जाता है कि:-

- आदेश में किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- आदेशांकित सभी कर्मचारी, L-12(ग्रेड-पे 4800) या इससे कम में वेतन आहरित कर रहे हैं।
- आदेशांकित समस्त कर्मचारी 31.03.2021 को सेवा में थे एवं इनकी सेवाएं 01.04.2021 तक जारी रही हैं।
- आदेशांकित समस्त कर्मचारियों की वर्ष 2020-21 में निरन्तर योग्य सेवा छः माह से कम नहीं है।
- आदेशांकित कोई भी कर्मचारी 31.03.2021 को निलम्बित या प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहा है एवं कोई भी कर्मचारी अंशकालीन/आकस्मिक/दैनिकवेतनभोगी/अनुबंध/प्रोबेशनरट्रेनी) नहीं है।
- आदेशांकित समस्त कर्मचारी, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 का बोनस आदेश जारी करने की तिथि 25.10.2021 को इस कार्यालय में कार्यरत थे।
- प्रोबेशनरट्रेनी (फिक्सरिम्यूनेशन /पूर्व पद का वेतन आहरित करने वाले) को बोनस स्वीकृत नहीं किया गया है।
- उक्त सभी कर्मिकों का मूलवेतन 7000/-प्रति माह से अधिक है।
- दिनांक 01.04.2004 से पूर्व नियुक्त कर्मिकों का 50 प्रतिशत बोनस नकद आहरित किया जा रहा है तथा 50 प्रतिशत को जी.पी.एफ में जमा करवाया जा रहा है और दिनांक 01.04.2004 तथा इस के पश्चात नियुक्त कर्मिकों का 50 प्रतिशत बोनस नकद आहरित किया जा रहा है तथा 50 प्रतिशत को जी.पी.एफ-2004 में जमा करवाया जा रहा है।

आहरण वितरण अधिकारी

दिनांक-

क्रमांक-

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उपकोषाधिकारी -----
- सम्बंधित कर्मिक-----
- निजी पंजिका |
- कार्यालय प्रति |

आहरण वितरण अधिकारी